



दिनांक: 08.11.2025

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार — अपराधियों के विरुद्ध अभियान में मिली सफलता □

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे सतत अभियान के क्रम में थाना सरसावा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.11.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 1 वारण्टी अभियुक्त हसीन पुत्र मुन्ना निवासी मौ० हरिजनान, कस्बा व थाना सरसावा, जिला सहारनपुर को संबंधित वाद संख्या 4569/24 व मु०अ०सं० 325/20 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना सरसावा तारीख पेशी 12.11.2025 के संबंध में उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

□ वारण्टी अभियुक्त का विवरण:

- नाम हसीन पुत्र मुन्ना निवासी मौ० हरिजनान, कस्बा व थाना सरसावा, जिला सहारनपुर

□ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

- श्री संजीव कुमार, प्रभारी निरीक्षक, थाना सरसावा, सहारनपुर
- उ०नि० राकेश कुमार शर्मा, थाना सरसावा, सहारनपुर
- का० 2225 रंगेश कुमार, थाना सरसावा, सहारनपुर
- का० 2223 दुर्गेश कुमार, थाना सरसावा, सहारनपुर



दिनांक: 08.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना देवबंद पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर तमचा, कारतूस व बलकटी बरामद — हिस्ट्रीशीटर अपराधी पर बड़ी कार्यवाही □

घटना का विवरण:-

दिनांक 07.11.2025 को श्री संजय पुत्र श्री जगबीरा निवासी ग्राम गुनारसा, थाना देवबंद, जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की दुकान पर आए व्यक्तियों द्वारा मांस खरीदने को लेकर विवाद करने, वादी के साथ गाली-गलौज करने तथा विरोध करने पर वादी पर जान से मारने की नीयत से तमचे से फायर कर देने तथा वादी की दुकान तथा मोटरसाइकिल को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रत कर देने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 986/2025 धारा 352/109(1)/324(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आम्सू एकट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में **पुलिस अधीक्षक ग्रामीण** एवं **क्षेत्राधिकारी देवबंद** के निकट पर्यवेक्षण में तथा **थाना प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा** के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त नीटू उर्फ प्रवीण पुत्र जयपाल निवासी मौहल्ला खालापड़ी ग्राम गुनारसा थाना देवबंद जिला सहारनपुर को ग्राम गुनारसा से गिरफ्तार किया।

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तमचा नाजायज 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर (नाल में फंसा हुआ) तथा एक बलकटी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त थाना देवबंद का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध अनेक गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

नीटू उर्फ प्रवीण पुत्र जयपाल निवासी मौ0 खालापड़ी ग्राम गुनारसा थाना देवबंद जिला सहारनपुर

बरामदगी:

- 01 तमचा नाजायज 315 बोर
- 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर (नाल में फंसा हुआ)
- 01 बलकटी

अपराधिक इतिहास:

- मु0अ0सं0 183/18 धारा 147, 323, 354(ख), 452, 504, 506 भादवि थाना देवबंद
- मु0अ0सं0 634/18 धारा 353, 504, 506 भादवि थाना देवबंद
- मु0अ0सं0 860/19 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 354, 427, 452, 504, 506 भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एकट थाना देवबंद
- मु0अ0सं0 44/24 धारा 307, 452, 504, 506 भादवि व 3/25/27 आम्सू एकट थाना देवबंद
- मु0अ0सं0 267/25 धारा 109(1), 3(5), 333 बीएनएस व 3/25/27 आम्सू एकट थाना देवबंद

6. मु0अ0सं0 34/20 धारा 323, 506 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट थाना सदर बाजार
7. मु0अ0सं0 986/25 धारा 352/109(1)/324(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आम्स एक्ट थाना देवबंद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 रणवीर सिंह, थाना देवबंद, सहारनपुर
2. उ0नि0 मलखान सिंह, थाना देवबंद, सहारनपुर
3. है0का0 350 अमित ढाका, थाना देवबंद, सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.11.2025

थाना बेहट पुलिस को मिली बड़ी सफलता — अवैध खनन परिवहन की रोकथाम में लगे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की लोकेशन/गतिविधियों की निगरानी कर खनन माफियाओं तक सूचना पहुँचाने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, दो मोबाइल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अवैध खनन एवं उसके परिवहन की रोकथाम हेतु लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बेहट पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं की मदद करते हुए उच्चाधिकारीगण की लोकेशन लीक करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय अभियुक्तों के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनके माध्यम से यह सूचना साझा की जा रही थी।

घटना का विवरण:

दिनांक 08.11.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर दो ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त लोगों को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिल-टाइम लोकेशन भेज रहे हैं, जिससे खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने में पुलिस/प्रशासन को कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न हो रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.11.2025 को मुख्यिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0 539/25, धारा 303(1)/62/50/121 बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभियुक्तों का विवरण:

- संसार पुत्र आबाद, निवासी ग्राम सठेड़ी शाहजहांपुर, थाना भगवानपुर, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
- नसीम पुत्र लतीफ, निवासी ग्राम सुन्दरपुर, थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:—

- उ0नि0 धीरज सिंह, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- का0 2339 अनिल, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- का0 900 सचिन, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- है0का0 357 अनुज, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- का0 2322 अजय कुमार यादव, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर

प्रमुख बिंदु :

- गिरफ्तार अभियुक्त पुलिस एवं प्रशासनिक तंत्र की गतिविधियों की निगरानी कर खनन माफियाओं तक सूचना पहुँचाते थे
- इनकी गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी।
- दोनों से बरामद मोबाइल फोनों की जांच साइबर सेल के माध्यम से की जा रही है।
- अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है।



दिनांक: 08.11.2025

थाना सदर बाजार पुलिस की टीम द्वारा साइकिल चोरी के मुकदमों में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 04 साइकिल व 1350/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नक्बजनी/चोरी/लूट की घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारणी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में साइकिल चोरी के मुकदमों में 03 वांछित अभियुक्तगण 1. आलिम पुत्र गय्यूर निरिजनी झिंझौली थाना बेहट जिला सहारनपुर, 2. मशरूर पुत्र मतलूब निरिजनी कालौनी इब्राहिमाबाद थाना मंडी जिला सहारनपुर व 3. रिहान पुत्र इस्लाम निरिजनी बुढ़ीमाई चौक के पास स्कूल वाली गली पुरानी मन्डी थाना मंडी जिला सहारनपुर को पुराने गंगोह बस अड्डे की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर चोरी की 04 साइकिल व 1350/- रुपये नकद (सम्बन्धित मु030सं0-646/2025 धारा 303(2) बीएनएस, मु030सं0-642/2025 धारा 303(2) बीएनएस, मु030सं0-551/2025 धारा 303(2) बीएनएस) बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मार्ग न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. मशरूर पुत्र मतलूब निरिजनी कालौनी इब्राहिमाबाद थाना मंडी जिला सहारनपुर
2. आलिम पुत्र गय्यूर निरिजनी झिंझौली थाना बेहट जिला सहारनपुर
3. रिहान पुत्र इस्लाम निरिजनी बुढ़ीमाई चौक के पास स्कूल वाली गली पुरानी मन्डी थाना मंडी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 04 चोरी की साइकिल
- 1350/- रुपये नकद

अभियुक्त का मशरूर का आपराधिक इतिहास

1. मु030सं0 262/24 धारा 63 आबकारी अधिरियम थाना मण्डी जिला सहारनपुर
2. मु030सं0 157/22 धारा 4/25 आयुध अधिरियम थाना मण्डी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0निरिजनी अनिल कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. उ0निरिजनी श्री सोहनवीर सिहौं थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
3. उ0निरिजनी श्री विकास कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
4. है0कार्यालय 1041 सोहित कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे के भीतर मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल व 01 अवैध चाकू बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 08.11.2025 को वादी मुकर्सम अली S/0 मुकीम निवासी ग्राम हरड़ाखेड़ी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 स्पलेन्डर UP 11 CD 2602 को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 459/2025 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया ।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर चैकिंग व गश्त की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के नेतृत्व में आज दिनांक 08.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मात्र 12 घण्टे में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र शुभम निवासी मोहल्ला पुर्वी अफगानान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर को बोनसा पुलिया से बिडवी रोड नहर पटरी पर एक किलोमीटर राधास्वामी गेट न0 11 पर ट्रयुबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल स्पलेन्डर प्लस UP 11 CD 2602 व अवैध चाकू बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अभियुक्त के कब्जे से अवैध चाकू की बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0स0 361/25 धारा 4/25 आम्स्र एकट के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रोहित पुत्र शुभम निवासी मोहल्ला पुर्वी अफगानान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस **UP11CD2602**
- 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री बन्टी सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 632 उत्तम राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1134 सन्दीप सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक: 08.11.2025

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही – थाना बेहट पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

कार्यवाही का विवरण:

दिनांक 08.11.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए चार वारण्टी अभियुक्तों को उनके मस्कन से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। समस्त अभियुक्त

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण:

- सोनू उर्फ काली पुत्र बनारसी निवासी ग्राम संसारपुर, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर को संबंधित वाद संख्या: 1161/22 व मु0अ0सं0: 407/11, धारा 382/506 भादवि चलानी थाना बेहट में
- इमरान पुत्र अलीहसन निवासी ग्राम पठानपुरा, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर को संबंधित वाद संख्या: 6368/22 धारा: 452/323/324/504 भादवि चलानी थाना: बेहट में
- मिन्तर पुत्र काशीराम निवासी ग्राम मेघन मजरा, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर को संबंधित वाद संख्या: 3253/22 व मु0अ0सं0 280/18 धारा 60(2) आबकारी एकट में नितय तिथि 04.12.2025 (माननीय न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर)
- अपिन पुत्र सुककड़ निवासी ग्राम रसूलपुर, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर को संबंधित वाद संख्या: 5148/22 व अपराध संख्या: 262/21, धारा 60 आबकारी एकट तारीख पेशी: 24.11.2025 (माननीय न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर) में

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम: □○^□

- उ0नि0 अरुण कुमार, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- उ0नि0 धीरज सिंह, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- उ0नि0 करन नागर, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- उ0नि0 बच्चू सिंह, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- है0का0 507 गौरव राणा, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- का0 2217 दीपक कुमार, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- है0का0 902 गोविन्द, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- का0 2210 लीलाधर, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- का0 1850 मनजीत सिंह, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
- का0 1767 पिंकरपाल, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर



दिनांक- 08.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही अवैध खनन पर शिकंजा, 11 वाहन किये जब्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट व उपजिलाधिकारी बेहट श्री मानवेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम व राजस्व टीम द्वारा आज दिनांक 08.11.2025 को अवैध खनन से भरे 11 ट्रक जब्त किये गए। ये सभी वाहन बिना माइनिंग टैग, बिना रॉयल्टी, ओवरलोड अथवा एक्सपायर माइनिंग टैग के पाए गए। वाहनों अवैध उपखनिज सामग्री से भरे हैं।

□ कार्यवाही के मुख्य बिन्दु

- अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई — 11 वाहन(ट्रक) जब्त

वाहन जब्त करने वाली टीम का विवरण:-

- श्री मानवेन्द्र सिंह, उपजिलाधिकारी बेहट
- श्री एस0एन0 वैभव पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी बेहट
- श्री सतपाल सिंह भाटी, प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट, सहारनपुर
- उ0नि0 करन नागर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- हे0का0 507 गौरव राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- का0 2339 अनिल कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- है0का0 357 अनुज कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
- अमीन श्रवन कुमार तहसील बेहट जनपद सहारनपुर
- अमीन नवीन सैनी तहसील बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक- 08.11.2025

-प्रेस नोट-

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार — अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में मिली सफलता □

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिलकाना पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का विवरण:

दिनांक 08.11.2025 को पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान मुख्य वाद सूचना पर 1 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम नौशाद पुत्र मीरहसन निवासी मौ0 काजीमल, कर्बा सुल्तानपुर, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर है। अभियुक्त वाद संख्या 10794/23, धारा 25/4 आयुध अधिनियम (माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, जनपद सहारनपुर) में वारण्टी चल रहा था। अभियुक्त को मौ0 काजीमल, कर्बा सुल्तानपुर से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

नौशाद पुत्र मीरहसन निवासी: मौ0 काजीमल, कर्बा सुल्तानपुर, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर को संबंधित वाद संख्या: 10794/23 धारा: 25/4 आयुध अधिनियम (माननीय न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, सहारनपुर)

तारीख पेशी: 29.11.2025 में

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम: □♂□

- उ0नि0 श्री श्याम कुमार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
- है0का0 517 वतन पवार, थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर

*!! यातायात माह के अन्तर्गत सहारनपुर पुलिस का “NO HELMET – NO FUEL”

अभियान !! *

* सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु सहारनपुर पुलिस की विशेष पहल*

* ➡ यातायात माह के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने तथा आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक यातायात के निकट पर्यवेक्षण में “नो हेलमेट – नो फ्यूल” अभियान चलाया गया।*

* ➡ आज दिनांक 08.11.2025 को सुबह 15:00 बजे से सांय 16:00 बजे तक जनपद के सभी पेट्रोल पम्पों पर पुलिस टीमों द्वारा व्यापक चेकिंग की गई। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता के बारे में जागरूक किया गया और बिना हेलमेट आने वालों को ईंधन नहीं दिया गया।*

* सहारनपुर पुलिस की आमजन से अपील*

दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें।

कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें।

धीमी गति एवं अपनी लेन में चलें।

किसी भी आपात स्थिति/दुर्घटना में 108 या 112 पर संपर्क करें।

* क्या न करें*

नशीले पदार्थ/शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं।

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें।

तेज गति से वाहन न चलाएं।

* उद्देश्य*

यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने, ट्रैफिक नियमों के पालन की प्रवृत्ति विकसित करने एवं सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है।

* सहारनपुर पुलिस का संदेश —*

“सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें — जीवन अनमोल है।”



दिनांक- 08.11.2025

□ समाधान दिवस पर जनता से संवाद – पुलिस आपके साथ □

➡□ आज दिनांक 08.11.2025 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार, जनपद सहारनपुर में जनसुनवाई आयोजित की गई।

□ इस अवसर पर नागरिकों ने समस्याओं व शिकायतों को अधिकारियों के समक्ष रखा। पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

□ उन्होंने यह भी कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग की भावना को और अधिक सशक्त बनाना है। सहारनपुर पुलिस जनता के साथ मिलकर “विश्वास, पारदर्शिता व सेवा भाव” के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है तथा हर शिकायत का त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।



दिनांक- 08.11.2025

□ समाधान दिवस पर जनता से संवाद – पुलिस आपके साथ □

➡□ आज दिनांक 08.11.2025 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर में जनसुनवाई आयोजित की गई।

□ इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने प्रतिभाग किया और अपनी समस्याओं व शिकायतों को पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखा। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

□ उन्होंने यह भी कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग की भावना को और अधिक सशक्त बनाना है। सहारनपुर पुलिस जनता के साथ मिलकर “विश्वास, पारदर्शिता व सेवा भाव” के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है तथा हर शिकायत का त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

□ ♂ □ □ आज दिनांक 08.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल/थाना परिसर में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनसुनवाई की जा रही है।

□ जनसुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है एवं मौके पर ही समस्याओं का निर्स्तारण कराया जा रहा है।

□



दिनांक- 08.11.2025

□ थाना तीतरो, जनपद सहारनपुर □

* ➡□ आज दिनांक 08.11.2025 को मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत थाना तीतरो क्षेत्रान्तर्गत कर्बा तीतरो बाजार में आने-जाने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया।*

□♀□ कार्यक्रम का संचालन एंटी रोमियो प्रभारी उ0नि0 अवनि उपाध्याय एवं का0 दिव्यांशु द्वारा किया गया। इस दौरान महिलाओं को

- साइबर फ्रॉड,
- ऑनलाइन ठगी,
- सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों से बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई।

_ *साथ ही सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया –*

- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 112 – पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

□ થાના દેવબંદ, જનપદ સહારનપુર

* ➡□ આજ દિનાંક 08.11.2025 કો વરિષ્ઠ પુલિસ અધીક્ષક, સહારનપુર કે નિર્દેશન મેં ચલાએ જા રહે મિશન શક્તિ અભિયાન ફેજ-5.0 કે અંતર્ગત થાના દેવબંદ મિશન શક્તિ ટીમ દ્વારા એક જાગરૂકતા કાર્યક્રમ આયોજિત કિયા ગયા હતું. ઇસ કાર્યક્રમ કા ઉદ્દેશ્ય ક્ષેત્ર કી મહિલાઓં એવં બાળિકાઓં કો મહિલા સુરક્ષા, આત્મરક્ષા, સાઇબર અપરાધોં સે બચાવ એવં સરકારી હેલ્પલાઇન સેવાઓં કે પ્રતિ જાગરૂક કરના રહાં હોય।*

□ ♀ □ કાર્યક્રમ કે દૌરાન મિશન શક્તિ ટીમ કી અધિકારીઓં ને મહિલાઓં કો વિસ્તાર સે બતાયા કી કેસે વે કિસી ભી આપાત સ્થિતિ યા અપરાધ કી સ્થિતિ મેં તુરંત સહાયતા પ્રાપ્ત કર સકતી હોયાં. ટીમ ને સભી કો નિમ્ન મહત્વપૂર્ણ હેલ્પલાઇન નંબરોં કી જાનકારી દી –

- 1090 – વૂમેન પાવર લાઇન (મહિલાઓં કી સુરક્ષા એવં સહાયતા હેતુ)
- 112 – પુલિસ ઇમરજેંસી હેલ્પલાઇન નંબર (કિસી ભી તાત્કાલિક આપાત સ્થિતિ મેં સહાયતા હેતુ)
- 1930 – સાઇબર હેલ્પલાઇન નંબર (ઑનલાઇન ઠગી યા સાઇબર અપરાધ કી શિકાયત હેતુ)

* ➡□ ઇસકે અતિરિક્ત મહિલાઓં કો બતાયા ગયા કી વે સોશલ મીડિયા પર કિસી ભી પ્રકાર કે સંદેહાસ્પદ લિંક, ફ્રોંડ કોલ યા મેસેજ સે સતર્ક રહેં તથા અપની વ્યક્તિગત જાનકારી યા બેંક ડિટેલ કિસી અંજાન વ્યક્તિ સે સાજ્જા ન કરોં।*

કાર્યક્રમ કે અંત મેં મહિલાઓં કો અપને અધિકારોં, આત્મરક્ષા કે ઉપાયોં ઔર હેલ્પલાઇન સેવાઓં કે પ્રયોગ કે પ્રતિ પ્રેરિત કિયા ગયા, તાકિ વે સ્વયં કે સાથ-સાથ સમાજ મેં અન્ય મહિલાઓં કો ભી જાગરૂક કર સકોં।

□ थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर

— * ➡□ आज दिनांक 08.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अंतर्गत थाना गंगोह की एंटी रोमियो मिशन शक्ति टीम द्वारा व्यापक महिला जागरूकता एवं सुरक्षा अभियान संचालित किया गया।*

* ➡□ इस अभियान का नेतृत्व महिला निरीक्षक वर्षा, महिला हेड कांस्टेबल राज रानी, एवं चालक हेड कांस्टेबल रवीश राणा द्वारा किया गया। टीम ने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजारों, पूरनमल डिग्री कॉलेज, हीरोज मेमोरियल हाईस्कूल, तथा आर्य कन्या इंटर कॉलेज में पहुंचकर छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से संबंधित विषयों पर जागरूक किया।*

□□ टीम द्वारा महिलाओं व छात्राओं को निम्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई

- डिजिटल एंपावरमेंट (Digital Empowerment) एवं साइबर सुरक्षा (Cyber Safety) के महत्व पर चर्चा की गई।
- साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से बचाव हेतु सावधानियां बताई गईं।
- नए कानूनों एवं महिला सुरक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
- बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया गया।

— *□ साथ ही निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा की गई —*

1090 – वूमेन पावर लाइन (महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन)

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन (ऑनलाइन ठगी/फ्रॉड की शिकायत हेतु)

108 – एंबुलेंस सेवा (आपातकालीन चिकित्सा सहायता हेतु)

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा (किसी भी त्वरित सहायता हेतु)

महिला थाना, जनपद सहारनपुर

* ➡ आज दिनांक 08.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में संचालित मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत महिला थाना सहारनपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।*

* ➡ इस अभियान में महिला उपनिरीक्षक अर्थिया कुरैशी, महिला कांस्टेबल वर्षा, महिला कांस्टेबल सरिता, एवं पीआरडी रीता द्वारा टीम का नेतृत्व किया गया। टीम ने हसनपुर चौक, शिव मंदिर चौक, दिल्ली रोड, कोर्ट रोड, हकीकतनगर, चंद्र नगर, तथा एस.डी. गर्ल्स इंटर कॉलेज सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों पर पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया।*

* टीम द्वारा जागरूकता के दौरान निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई —*

महिलाओं एवं बालिकाओं को “डिजिटल एरेस्टिंग” जैसी झूठी अफवाहों से सावधान रहने और सत्यापन के बिना किसी संदेश या कॉल पर विश्वास न करने की सलाह दी गई।

सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण योजनाओं, बच्चों के संरक्षण कार्यक्रमों एवं मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में बताया गया।

महिलाओं को अपने अधिकारों, सुरक्षा उपायों एवं आत्मरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।

साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया से जुड़ी धोखाधड़ियों से बचाव के उपाय बताए गए।

* महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई —*

1090 – वूमेन पावर लाइन (महिलाओं के लिए विशेष सहायता)

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन (ऑनलाइन ठगी/फ्रॉड की रिपोर्ट हेतु)

108 – एंबुलेंस सेवा (आपातकालीन चिकित्सा सहायता हेतु)

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा (त्वरित सहायता हेतु)

□ થાના નાગલ, જનપદ સહારનપુર

* ➡□ આજ દિનાંક 08.11.2025 કો વરિષ્ઠ પુલિસ અધીક્ષક, સહારનપુર કે નિર્દેશન મેં સંચાલિત મિશન શક્તિ અભિયાન ફેજ-5.0 એવં સાઇબર સુરક્ષા જાગરૂકતા અભિયાન કે અંતર્ગત થાના નાગલ કી એંટી રોમિયો / મિશન શક્તિ ટીમ દ્વારા કરબા નાગલ બાજાર ક્ષેત્ર મેં વ્યાપક જાગરૂકતા એવં સુરક્ષા અભિયાન ચલાયા ગયા।*

□ ♀ □ અભિયાન કે દૌરાન ટીમ દ્વારા સંદિગ્ધ વ્યક્તિયોં કી ચેકિંગ કી ગઈ તથા મહિલાઓં ઔર બાળિકાઓં કે બીચ ચૌપાલ લગાકર સંવાદ સ્થાપિત કિયા ગયા।

□ ટીમ ને ઉપસ્થિત મહિલાઓં વ છાત્રાઓં કો ઉનકે અધિકારોં, સુરક્ષા ઉપાયોં, આત્મરક્ષા કે મહત્વ તથા મહિલા સુરક્ષા, સમ્માન ઔર સ્વાવલંબન સે જુડી જાનકારી પ્રદાન કી।

□ મહિલાઓં કો ડિજિટલ એરેસ્ટિંગ જૈસી ઝૂઠી અફવાહોં સે સાવધાન રહને કે લિએ જાગરૂક કિયા ગયા।

□ સરકાર દ્વારા ચલાઈ જા રહી મહિલા સશક્તિકરણ યોજનાઓં, બચ્ચોં કે સંરક્ષણ કાર્યક્રમોં ઔર મિશન શક્તિ કેંદ્રોં કી જાનકારી દી ગઈ।

□ ઉપસ્થિત મહિલાઓં કો સાઇબર ફ્રોડ, ઑનલાઇન ઠગી, સોશલ મીડિયા દુરૂપયોગ, એવં અન્ય સાઇબર અપરાધોં સે બચને કે ઉપાય બતાએ ગણ।

*□ મહત્વપૂર્ણ હેલ્પલાઇન નંબરોં કી જાનકારી દી ગઈ —*-

1090 – વૂમેન પાવર લાઇન (મહિલા સુરક્ષા હેતુ વિશેષ હેલ્પલાઇન)

1930 – સાઇબર અપરાધ હેલ્પલાઇન (ઑનલાઇન ઠગી યા ફ્રોડ કી રિપોર્ટ હેતુ)

108 – એંબુલન્સ સેવા (આપાતકાલીન ચિકિત્સા સહાયતા હેતુ)

112 – પુલિસ આપાતકાલીન સેવા (કિસી ભી તાત્કાલિક સહાયતા હેતુ)

□ थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर

► आज दिनांक 08.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में संचालित महिला सशक्तिकरण अभियान – मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत थाना नकुड़ की एंटी रोमियो टीम द्वारा व्यापक जागरूकता एवं जनसंवाद अभियान चलाया गया।*

► इस दौरान महिला उपनिरीक्षक कोमल पंवार एवं महिला कांस्टेबल दिशा द्वारा कर्सा नकुड़ के जनक बाजार, बस र्टैंड तथा अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं व बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया।*

□ ♀ □ टीम ने उपस्थित महिलाओं से उनकी समस्याएं सुनीं, तथा उन्हें महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

□ टीम द्वारा निम्न विषयों पर जागरूकता दी गई —

□ सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं, जैसे —विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं, बाल मजदूरी न कराने के नियम

□ गुड टच और बैड टच के माध्यम से बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

□ डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी जैसी धोखाधड़ियों से बचने के उपाय बताए गए।

□ उपस्थित महिलाओं को अपने अधिकारों, आत्मरक्षा के महत्व और साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा दी गई।

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

1090 – वूमेन पावर लाइन (महिला सहायता हेतु)

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (जनसामान्य शिकायत हेतु)

1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन (बच्चों की सुरक्षा हेतु)

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन (ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट हेतु)

108 – एंबुलेंस सेवा (आपातकालीन चिकित्सा सहायता हेतु)

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा (त्वरित सहायता हेतु)

□ थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर

→□ आज दिनांक 08.11.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में संचालित मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत थाना जनकपुरी की एंटी रोमियो टीम द्वारा क्षेत्र में व्यापक महिला सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाया गया।

→□ इस अभियान में उपनिरीक्षक मोनिका यादव, महिला हेड कांस्टेबल पुष्पा, एवं महिला कांस्टेबल अलका नागर सम्मिलित रहीं। टीम ने थाना जनकपुरी क्षेत्र के प्रमुख स्थानों — SBD चौक, बाजोरिया रोड, सपना पुल, जनकनगर एवं तकिया खानालमपुर आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर आने-जाने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया तथा उन्हें महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न जानकारियां प्रदान कीं।

*□ ♀□ टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत निम्न प्रमुख बिंदुओं पर जागरूक किया गया — *

□ महिलाओं एवं बालिकाओं को डिजिटल एरेस्टिंग एवं सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी अफवाहों से सतर्क रहने की सलाह दी गई।

□ सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण योजनाओं, बाल सुरक्षा कार्यक्रमों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

□ उपरिथित महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा, आत्मरक्षा के महत्व और कानूनी संरक्षण के बारे में बताया गया।

□ साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, फेक कॉल्स एवं अनचाहे लिंक से बचाव के उपाय बताए गए और ऑनलाइन सतर्कता बनाए रखने का संदेश दिया गया।

—*□□ महिलाओं एवं बालिकाओं की चौपाल आयोजित की गई, जिसमें उन्हें निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —*

□ 1090 – वूमेन पावर लाइन (महिला सुरक्षा हेतु)

□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन (ऑनलाइन ठगी या फ्रॉड की रिपोर्ट हेतु)

□ 108 – एंबुलेंस सेवा (आपातकालीन चिकित्सा सहायता हेतु)

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा (त्वरित पुलिस सहायता हेतु)

□ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन (बच्चों की सुरक्षा हेतु)

□□ थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर : मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान □□

महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत आज दिनांक 08.11.2025 को थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर में एंटी रोमियो टीमउ0नि0 विनोद तेवतिया, म0उ0नि0 अंजू सिंह, म0का0 मीनाक्षी, होमगार्ड नरेश एवं पी0आर0डी0 सीता द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

टीम द्वारा नवाबगंज चौक, जामा मस्जिद, पंचायती मंदिर, घंटाघर, गौशाला मंदिर, नुमाइश केंप, नकाशा बाजार, कक्कड़, महाराज सिंह डिग्री कॉलेज, जीएस पब्लिक स्कूल, नेहरू मार्केट, भैरव मंदिर, बालाजी मंदिर, शाहिदगंज, फव्वारा चौक, तिलक नगर आदि स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

□□ साइबर जागरूकता एवं नए कानूनों की जानकारी : टीम ने उपरिथित महिलाओं व छात्राओं को □ डिजिटल एरेस्टिंग, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश, मॉफर्ड फोटो, फेक लिंक एवं साइबर बुलिंग जैसे अपराधों से बचाव के उपाय बताए। □ उन्हें साइबर सुरक्षा से संबंधित नए कानूनों की जानकारी दी गई — जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 (BES) के अंतर्गत महिला एवं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा तथा साइबर अपराधों पर कठोर दंड के प्रावधानों की जानकारी दी गई। □ साइबर क्राइम की शिकायत हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 व portal.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई गई।

□ महिला चौपाल व जनसंवाद : सराय चौक पर महिलाओं एवं बालिकाओं की चौपाल आयोजित कर निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई — □ 1090 – वूमेन पावर लाइन □ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन □ 108 – एम्बुलेंस सेवा □ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा □ 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

साथ ही मिशन शक्ति के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला स्वावलंबन, शिक्षा एवं सुरक्षा योजनाओं जैसे महिला हेल्पडेर्स्क, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, महिला बीट व्यवस्था आदि की जानकारी भी दी गई। टीम ने सभी स्थानों पर जागरूकता पम्पलेट वितरित किए और महिलाओं से उनके अधिकार, सुरक्षा व आत्मरक्षा के उपायों पर चर्चा की।

□□ थाना सरसावा, सहारनपुर : मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित □□

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं थाना अध्यक्ष श्री सजीव कुमार के नेतृत्व में आज दिनांक 08.11.2025 को थाना सरसावा की एंटी रोमियो/मिशन शक्ति टीम द्वारा कर्सा सरसावा बाजार सहित आसपास के प्रमुख स्थानों —शिव चौक (अंबाला रोड), झंडा चौक, श्रीराम मार्केट, नकुड़ तिराहा बाजार, एवं मेन बाजार — पर व्यापक महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया।

टीम द्वारा बाजार क्षेत्र में आने-जाने वाली महिलाओं, बालिकाओं एवं स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के विषय में जागरूक किया गया।

- मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत डिजिटल एरेस्टिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, झूठी अफवाहों, और सोशल मीडिया पर साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए।
- साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम से संबंधित नए कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई, जैसे — भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) में महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए कड़े दंड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) में त्वरित कार्रवाई के प्रावधान, एवं भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 (BES) में डिजिटल साक्ष्य की वैधता।

कार्यक्रम के अंतर्गत शिव चौक, झंडा चौक एवं मुख्य बाजार क्षेत्र में चौपाल लगाकर बालिकाओं और महिलाओं से सीधे संवाद किया गया।

टीम ने सभी को सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी —

- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 108 – एम्बुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

इसके साथ ही बाल मजदूरी, बाल विवाह के दुष्परिणामों, तथा मोबाइल व इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

महिलाओं एवं बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए और उन्हें सरकारी योजनाओं, सुरक्षा उपायों एवं अपने अधिकारों की जानकारी दी गई।

□□ थाना कुतुबशेर, सहारनपुर : मिशन शक्ति फेज-5.0, साइबर अपराध जागरूकता एवं नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा व जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित □□

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी कुतुबशेर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 08.11.2025 को थाना कुतुबशेर की एंटी रोमियो टीम द्वारा महिला उपनिरीक्षक सुमन व महिला कांस्टेबल ममता के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

टीम द्वारा लेबर कॉलोनी बाजार, शारदा नगर बाजार, मानक मऊ बस अड्डा एवं आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर महिलाओं, बालिकाओं एवं छात्राओं को जागरूक किया गया।

- महिलाओं को डिजिटल एरेस्टिंग, झूठी अफवाहों, ऑनलाइन ठगी एवं साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए गए।
- उन्हें सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान, महिला सशक्तिकरण योजनाएं, बाल संरक्षण कार्यक्रम एवं शिक्षा व स्वावलंबन से जुड़ी पहल की जानकारी दी गई।
- साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया गया।
- महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी :

टीम द्वारा उपस्थित जनसमूह को सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई —

- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 108 – एम्बुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

साथ ही मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका व उसकी सहायता सेवाओं की जानकारी साझा की गई।

□ □ थाना नानौता, सहारनपुर : मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण व विधिक जानकारी कार्यक्रम आयोजित □ □

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन एवं थाना अध्यक्ष नानौता के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 08.11.2025 को थाना नानौता की एंटी रोमियो टीम द्वारा कस्बा नानौता में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

इस दौरान महिलाओं, बालिकाओं एवं आमजन को मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के साथ-साथ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह से संबंधित विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।

□ □ मुख्य बिंदु : मिशन शक्ति व साइबर जागरूकता अभियान

- टीम ने बाजार क्षेत्र में आने-जाने वाली महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं से संवाद कर उन्हें विभिन्न सुरक्षा उपायों, अधिकारों एवं योजनाओं की जानकारी दी।
- डिजिटल एरेस्टिंग, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक, ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड के खतरों से सतर्क रहने की अपील की गई।
- **Zero FIR** व **E-FIR** की अवधारणा समझाते हुए बताया गया कि अब प्रत्येक नागरिक किसी भी थाने में, बिना अधिकार क्षेत्र की बाध्यता के, **Zero FIR** दर्ज करा सकता है, तथा **E-FIR** के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है।
- टीम ने उपस्थित जनों को हाल ही में लागू हुए नए भारतीय दंड विधान – “भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023”, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023”, तथा “भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023” के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी।
- हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी :

महिलाओं व नागरिकों को सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया गया —

- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 108 – एम्बुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी :

टीम ने जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे —

विधवा पेंशन योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

बाल कल्याण योजनाएं

बाल मजदूरी निषेध अभियान

तथा गुड टच-बैड टच की अवधारणा —

के बारे में जानकारी देते हुए सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया।



दिनांक- 08.11.2025

□□ थाना फतेहपुर, सहारनपुर : मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण व नशा मुक्ति जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित □□

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन एवं थाना प्रभारी फतेहपुर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 08.11.2025 को थाना फतेहपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन विषयक जनजागरूकता अभियान संचालित किया गया।

□□ मुख्य गतिविधियां - टीम द्वारा बाजार, बस अड्डा एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर महिलाओं, बालिकाओं एवं छात्राओं को सुरक्षा व सशक्तिकरण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

□ मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं को डिजिटल एरेस्टिंग, झूठी अफवाहों, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए।

□ उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं — जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन योजना, बाल कल्याण योजनाएं आदि की जानकारी दी गई।

□ उपस्थित महिलाओं को अपने अधिकार, सुरक्षा व संरक्षण संबंधी विधिक जानकारी दी गई तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।

□ नए कानूनों की जानकारी : महिलाओं को हाल ही में लागू हुए नए भारतीय कानूनों के बारे में बताया गया, जिनमें —

□ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023,

□ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, तथा

□ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 —

के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराधों पर कठोर दंड, और त्वरित न्याय के प्रावधानों की चर्चा की गई।

□ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी :

महिलाओं व बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित प्रमुख हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई —

□ 1090 – वूमेन पावर लाइन

□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

□ 108 – एम्बुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

साथ ही मिशन शक्ति केंद्र एवं उसकी सहायता सेवाओं के बारे में भी बताया गया।

□□ थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर : मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित □□

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन एवं थाना अध्यक्ष श्री सजीव कुमार के नेतृत्व में आज दिनांक 08.11.2025 को थाना सरसावा की एंटी रोमियो / मिशन शक्ति टीम द्वारा कस्बा सरसावा बाजार एवं आसपास के प्रमुख स्थलों —झांडा चौक, नकुड़ रोड, ऑटो/बस स्टैंड, पालिका बाजार, सराफा बाजार आदि पर महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

□□ महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता पर संवाद : टीम ने बाजार क्षेत्र, बस स्टैंड और विद्यालयों के आसपास मौजूद महिलाओं, बालिकाओं एवं छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया।

□ मिशन शक्ति अभियान के तहत डिजिटल एरेस्टिंग, ऑनलाइन ठगी, झूठी अफवाहों, साइबर फ्रॉड एवं सोशल मीडिया अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए।

□ महिलाओं को सशक्तिकरण, आत्मरक्षा, और अधिकारों की जानकारी देने के साथ-साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं —

जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन योजना, बाल कल्याण कार्यक्रम आदि के बारे में बताया गया।

□ बालिकाओं को गुड टच – बैड टच, मोबाइल और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के प्रति भी जागरूक किया गया।

□ साइबर अपराधों व हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी : कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को साइबर सुरक्षा और नए कानूनों की जानकारी दी गई, जिनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की चर्चा की गई।

साथ ही निम्नलिखित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 108 – एम्बुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर : मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं साइबर अपराध जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं नशा मुक्ति पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना गागलहेड़ी की एंटी रोमियो टीम द्वारा, उपनिरीक्षक ओमपाल यादव, महिला कांस्टेबल ज्योति तथा महिला कांस्टेबल शशीवाला के नेतृत्व में ग्राम सोना स्थित राजकीय इंटर कॉलेज एवं प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं के बीच मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मुख्य उद्देश्य : महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया।

मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत बालिकाओं को

डिजिटल एरेस्टिंग, झूठी अफवाहों, ऑनलाइन फ्रॉड, अनचाहे लिंक, साइबर ठगी एवं सोशल मीडिया अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए।

उन्हें सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं —

जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन योजना, बाल कल्याण कार्यक्रम, मिशन शक्ति केंद्र, आदि की जानकारी दी गई।

छात्राओं को गुड टच-बैड टच, ऑनलाइन सुरक्षा, और अपने अधिकारों की पहचान के बारे में भी शिक्षित किया गया।

नए कानूनों एवं साइबर अपराध से संबंधित जानकारी : कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने बालिकाओं को हाल ही में लागू हुए नए भारतीय कानूनों —

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023,

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, एवं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 —

के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा व साइबर अपराधों पर कड़े दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया गया कि अब प्रत्येक नागरिक Zero FIR या E-FIR के माध्यम से किसी भी थाने या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी :

टीम ने बालिकाओं को सरकार द्वारा जारी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी —

1090 – वूमेन पावर लाइन

1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

108 – एम्बुलेंस सेवा

112 – पुलिस आपातकालीन सेव